उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–9

अधिसू<mark>चना</mark> 24 जनवरी, 2011 ई0

संख्या 36/XXVII(9)/2011/स्टाम्प-20/2010-राज्यपाल, साघारण खण्ड अधिनियम, 1897 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की घारा 21 के साथ पठित उत्तराखण्ड में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2, सन् 1899) की घारा 9 की उपघारा (1) के खंड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और इस निमित्त जारी की गई पूर्व अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तरण करते हुए, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशन के दिनांक से भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2, सन् 1899) की अनुसूची 1-ख के अनुच्छेद 58 के अधीन परिवार के सदस्यों के पक्ष में निष्पादित व्यवस्थापन विलेखों पर प्रमार्य स्टाम्प शुल्क की दर 4 प्रतिशत से घटाकर 0.5 प्रतिशत अधिकतम एक लाख रुपये दस करोड़ तक के विलेख पर तथा दस करोड़ के अधिक विलेख पर रुपये तीन लाख किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

स्पष्टीकरण-परिवार का तात्पर्य इस प्रयोजन हेतु दाता के पिता, माता, पित, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधु, भाई, बहन तथा नाती-पोतों से है।

आज्ञा से.

राधा रतूड़ी, सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the notification no. 36/XXVII(9)/2011/Stamp-20/2010, Dehradun, Dated January 24, 2011 for general information.

NOTIFICATION

January 24, 2011

No. 36/XXVII(9)/2011/Stamp-20/2010--In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Central Act no. 2 of 1899) as amended from time to time in its application to Uttarakhand, read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Central Act no. 10 of 1897) and in partial modification of all previous notifications issued in this behalf, the Governor is pleased to permit the reduction of stamp duty from four percent to 0.5 percent, maximum rupees One lac on instruments valued up to rupees ten crores, and rupees three lakhs on instrument valued more than rupees ten crores on settlement under Article 58 of Schedule 1-B of the Indian Stamp Act, 1899 (Central Act no. 2 of 1899) from the date of publication of this notification in the official gazette.

Explanation--Family in relation to the donor for this purpose means father, mother, husband, wife, son, daughter, daughter-in-law, brothers, sisters and grand children.

By Order,

RADHA RATURI, Secretary.

टिप्पणी—राजपत्र, दिनांक 30—4—2011, भाग—1 में प्रकाशित। [प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—] पी०एस०यू० (आर०ई०) 15 वित्त / 234—13—5—2011—100 (कम्प्यूटर / रीजियो)।